फिल्म जाली एलएलबी-थ्री के 'भाई वकील है' गाने को चुनौती

मामला ● हाई कोर्ट में नौ सितंबर को होगी सुनवाई, 19 सितंबर को होनी है रिलीज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : अभिनेता अक्षय कुमार व अरशद वारसी अभिनीत फिल्म जाली एलएलबी-थ्री पर विवाद गहराता जा रहा है। 19 सितंबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म के ट्रेलर और गाने मेरा भाई वकील को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें दावा किया गया है कि फिल्म में न्यायपालिका व वकालत के पेशे को अपमानजनक तरीके से चित्रित किया गया है। इससे समूचे विधिजगत व न्यायतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंची है। जनहित याचिकाकर्ता की ओर से शीघ्र सुनवाई के निवेदन को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की सुनवाई नौ सितंबर को नियत की गई है। जनहित याचिका में राज्य शासन, प्रमुख सचिव गृह विभाग, सचिव, सूचना एवं प्रसारण, भारत सरकार, नई दिल्ली और चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड आफ फिल्म सर्टिफिकेशन को पक्षकार बनाया गया है।

जनहित याचिकाकर्ता गोविंद भवन कालोनी, साउथ सिविल लाइन, जबलपुर निवासी अधिवक्ता प्रांजल तिवारी की ओर से अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर व आरजू अली पैरवी करेंगे। उन्होंने अवगत कराया कि आपत्ति का मुख्य बिंदु गाने के बोल हैं, जिनके जरिए वकालत जैसे नोबल प्रोफेशन को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया गया है। रगो में तगड़मबाजी है, हर ताले की चाबी है, लगा के सेटिंग ऐसी रखी, बास भी हमसे राजी है, गाड़ी ठोंक के गोली मार, पकड़ी ड्रग चली तलवार, हर केस की पैकेज डील है, फिक्र ना कर तेरा भाई वकील है, कबीरा इस संसार में, सबसे सुखी वकील, जीत गए तो मोटी फीस, हार गए तो अपील, यह शब्दावली सर्वथा अनुचित है।

वकालत का बैंड पहनकर नाचना भी मानहानिकारक : जनहित याचिकाकर्ता ने भाई वकील है, गाने में अभिनेता अक्षय कुमार व अरशद वारसी द्वारा वकालत का बैंड पहनकर नाचने को भी मानहानिकारक निरुपित किया है। उनका तर्क है कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण की पैरवी के दौरान वकील बैंड लगाते हैं और गाउन पहनते हैं। इससे साफ है कि वकालत के गणवेश की अपनी महत्ता है, जिसे इस तरह मनोरंजन के नाम पर अपमानित नहीं किया जाना चाहिए।

अभिवचन का पालन न करना जमानत की शर्त का उल्लंघन

- सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी के साथ निरस्त की पूर्व में मिली जमानत, सरेंडर करने के दिए निर्देश

जबलपुर : सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल व न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वारल्ले की युगलपीठ ने अपने एक आदेश में साफ किया कि अभिवचन का पालन न करना भी जमानत की शर्त का उल्लंघन है। लिहाजा, पूर्व में मिली जमानत निरस्त की जाती है। साथ ही सरेंडर करने के निर्देश दिए जाते हैं। मामला जबलपुर निवासी कालोनाइजर गीता सिंह रावत से संबंधित था। विशेष अनुमति याचिकार्ता जबलपुर निवासी अधिवक्ता अशोक मिश्रा की ओर से अधिवक्ता कौशिक मिश्रा ने पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि विशेष अनुमति याचिकार्ता ने गीता सिंह रावत पर भूखंड विक्रय को लेकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। जिसके आधार पर भेड़ाघाट थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ। इसी के साथ रावत को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने जेल से बाहर आने के लिए सेशन कोर्ट ने राहत न मिलने पर हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की। सुनवाई के दौरान अभिवचन दिया था कि जिस भूखंड के विक्रय के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, उसकी रजिस्ट्री जेल से छूटने के बाद एक माह के भीतर शिकायतकर्ता अशोक मिश्रा के नाम करा दी जाएगी। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने जमानत का लाभ दे दिया। लेकिन अभिवचन का उल्लंघन करते हुए समयावधि निकलने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई गई। लिहाजा, शिकायतकर्ता ने लीगल नोटिस दिया। जिसका कोई असर न होने पर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष जमानत निरस्त करने की मांग की। लेकिन हाई कोर्ट ने अभिवचन को शर्त न मानते हुए मांग निरस्त कर दी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई।